डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2019 / 355 दिनांक : 30–05–2019

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री छत्रपति शाहू जी महराज महाविद्यालय,
झिलाही, मनकापुर, गोण्डा।

विषयः स्थायी सम्बद्धता हेतु प्राप्त निरीक्षण मण्डल आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके महाविद्यालय में संचालित **परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं भूगोल विषयों की स्थायी सम्बद्धता** हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण मण्डल दल द्वारा याचित पाठ्यक्रम के सापेक्ष महाविद्यालय में उपलब्ध मूल–भूत अवस्थापना सुविधाएं एवं शिक्षकों के अनुमोदन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में प्रेषित आख्या को सम्बद्धता समिति की बैठक दिनॉक 30 मई, 2019 को समिति के समक्ष उक्त पाठ्यक्रमों को स्थायी सम्बद्धता के आशय से प्रस्तुत किया गया। सम्बद्धता समिति के सदस्यों द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त सम्बद्धता समिति द्वारा याचित पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित न होने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत सत्र 2019–20 हेतु याचित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

याचित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में सत्र 2019–20 में छात्र एवं छात्राओं का प्रवेश प्रतिबन्धित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित एवं आनलाइन कराये जाने के उपरान्त आगामी सत्र हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करते हुए निरीक्षण मण्डल दल की मॉग करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

330